खंड III

MBD WRITEWELL
Date ....
Page ...1...

प्र. भारत में कृषि वित के प्रमुख स्रोतों की संक्षेप में व्याख्या करें।

Ans कृषि वित से तात्पर्य उस वित से होता है जिसका उपयोग कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने हेतु किया जाता है। कृषि वित की आवश्यकता भूमि पर स्थायी सुधार करने, बीज, खाद कीटनाशक, कृषि यंत्र पर क्रय करने सिंचाई की व्यवस्था करने मालगुजारी देने, विपणन से सम्बन्ध कार्य है लिए हो सकती है।

भारत में कृषि वित के स्रोत,

भारत में कृषि वित की अल्पकालीन, मध्यमकालीन एव दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(I) गैर-संस्थागत स्रोत → इसके अन्तर्गत ग्रामीण, साहूकार अथवा महाजन, व्यापारी, एव कमीशन एजेन्ट मित्र एव सम्बन्धी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

(II) संस्थागत स्रोत → इसके अन्तर्गत सरकार, सहकारी समितिया तथा बैंको को सम्मिलित किया जाता है।

(I) गैर संस्थागत स्रोत।

(I) साहूकार अथवा महाजन— गैर संस्थागत स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान साहूकार अथवा महाजन का है। प्रारम्भ से ही ये कृषि वित के सबसे सहज एव सुलभ साधन माने जाते रहे है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारों एव महाजनों को दो श्रेणियों मे विभाजित किया है— प्रथम कृषक कृषक साहूकार द्वितिय व्यावसायिक साहूकार एव महाजन।

इस गैर संस्थागत ~~स्रोत~~ व्यवस्था की लोकप्रियता का कारण यह है (I) इनकी ऋण देने की प्रक्रिया बहुत सरल है। (II) इनसे सम्पर्क करना सहज रहता है। (III) यह उत्पादन तथा उपभोग दोनो उद्देश्यों के लिए ऋण देता है। (IV) यह अल्पकालीन मध्यमकालीन अथवा दीर्घकालीन तीनो प्रकार के ऋण देते है। (V) यह बिना जमानत के ऋण प्रदान कर देते है। (VI) यदि इनको समय पर ~~ब्याज~~ ब्याज मिल जाय तो ये मूलधन की वापसी पर जोर नही देते।—

सुविधाजनक एव सरल होने के बावजूद इस प्रणाली में कुछ दोष है।

Scanned with CamScanner

(1) ग्रामीण साहूकारी द्वारा अत्यधिक ऊँची ब्याजदर वसूल की जाती है। जो 18 से 36 प्रतिशत होती है।
(2) साहूकार कृषक को ऋण देते समय ही एक वर्ष का अग्रिम ब्याज मूलधन से काट लेता है।
(3) यह किसानों के अशिक्षित होने का फायदा उठाता है।
(4) यह किसानों से समय-समय पर बेगार भी लेता रहता है।
(5) साहूकार किसान से कम मूल्य पर फसल को क्रय करने का प्रयास करता है और उसमें सफल भी हो जाता है।
(6) यह उत्पादक तथा गैर उत्पादक ऋणों को सहजता से प्रदान कर फिजूलखर्ची की आदत डाल देता है।

2. व्यापारी एवं कमीशन एजेन्ट — व्यापारी तथा कमीशन एजेन्ट भी किसानों को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

3. मित्र एवं सम्बन्धी - ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर किसान अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से नकद अथवा वस्तुओं के रूप में ऋण प्राप्त करता है।

4. भू स्वामी एवं अन्य → कभी-कभी कृषक भू स्वामी तथा अन्य स्रोतों से भी ऋण प्राप्त करते हैं।

II संस्थागत स्रोत — (1) सहकारी संस्थाएँ → ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोतों में सहकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों को ग्रामीण साहूकारों के शोषण से विमुक्ति दिलाने का कार्य करता है।

प्राथमिक सहकारी साख संस्थाएँ → गाँव के कोई 10 लोग मिलकर प्राथमिक सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। इनकी कार्यशील पूँजी सदस्यों के सदस्यता शुल्क, जन निक्षेप तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण आदि के रूप में प्राप्त होती है।

जिला सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक → यह बैंक वह सभी कार्य करते हैं जो एक व्यापारिक बैंक करते हैं।

राज्य सहकारी बैंक → यह बैंक सम्बन्धित राज्य के मुख्यालय पर स्थित होते हैं। इनका प्रमुख कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी

Scanned with CamScanner

बैंक की ऋण सुविधायें प्रदान करना है।

सहकारी साख संस्थाओं की कमजोरियाँ → सहकारी ऋण संरचना विभिन्न कारणों से गम्भीर समस्याओं का सामना कर रही है जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता तथा कृषक समुदाय के सभी वर्गों तक पहुँचने के कार्य को प्रभावी ढंग से करने में उसकी क्षमता सीमित रही।

वसूली निष्पादन → ऋण के निर्बाध प्रवाह में सहकारी ऋण संस्थानों का खराब वसूली निष्पादन एक बड़ी बाधा रहा है।

(2) भूमि विकास तथा भूमि बन्धक बैंक → संस्थागत कृषि वित्त के स्रोतों में भूमि विकास बैंक का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
ये बैंक किसानों को दीर्घकालीन साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

3 व्यापारिक बैंक → राष्ट्रीयकरण से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर कृषि वित्त हेतु व्यापारिक बैंकों का योगदान उल्लेखनीय नहीं रहा। परन्तु 1969 में 14 तथा 1980 में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के उपरान्त कृषि वित्त में इन बैंकों का योगदान बढ़ता गया है।

4 भारतीय स्टेट बैंक → भारतीय स्टेट बैंक कृषि कार्य के लिए विभिन्न प्रकार साख सुविधायें प्रदान करता है।

भारतीय स्टेट बैंक एक योजना के अन्तर्गत 'गाँव अंगीकृत योजना' आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत गोद लिए गाँव के सभी विकास कार्यक्रमों में बैंक सहायता प्रदान करता है।

(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया → रिजर्व बैंक कृषकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं उपलब्ध कराता है। वह राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से साख सुविधा उपलब्ध कराता है।

(6) सरकार → राज्य सरकारों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं जिन्हें तकावी ऋण कहा जाता है। इस तरह के ऋण प्रायः संकट काल में दिए जाते हैं।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक → लघु तथा सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकिंग आयोग द्वारा 1972 में ग्रामीण बैंकों

Scanned with CamScanner

की स्थापना का सुझाव दिया गया। इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए गठित नरसिंहम कमेटी ने भी कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक खोले जाने को उचित बताया। अतः 1975 को ग्रामीण बैंकों की स्थापना हेतु अधिनियम पारित किया गया। जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 1975 में राज्यों में 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबन्ध 9 सदस्यों के संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। जिसका चेयरमैन केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

कमियां → इस तरह, इन बैंको ने शाखा विस्तार ऋण स्वीकृति तथा बचतों को प्रोत्साहन करने की दिशा में काफी प्रगति की है फिर भी इनमें कुछ कमियां है जिनके आधार पर इन बैंको की आलोचना की जाती है।

8 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त आर्थिक विकास में बैंको की भूमिका निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक ने श्री एफ. के. एफ. नरीमन की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्ति की, जिसने 15 नवम्बर 1969 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस कमेटी ने सुझाव दिया देश के सभी जिलों को बैंकों के बीच बांट दिया जाय तथा प्रत्येक बैंक को अपने हिस्से में आए जिलो में बैंको की शाखाओं के विस्तार, साख वितरण तथा समन्वय विकास का उत्तरदायी बनाया जाय। सरकार ने उस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया तथा देश के 335 जिलो को 17 बैंको में बांट दिया गया। वर्तमान समय में अग्रणी बैंक योजना 472 जिलो में चल रही है। इन जिलों के विकास का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा गैर राष्ट्रीयकृत बैंक जम्मू एवं कश्मीर बैंक तथा बैंक आफ राजस्थान पर है।

रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक के कार्य इस तरह निर्धारित किए गए है।

1:- आवण्टित जिले में बैंकिंग के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाना।

2- ऋण प्रदान करने वाली प्राथमिक एजेन्सियों की सहायता

Scanned with CamScanner

3- सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी एजेन्सियों से सम्पर्क करना।
4- उन औद्योगिक तथा व्यापारिक इकाइयों की जानकारी प्राप्त करना जो अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों का सहयोग नहीं लेते।
5 2 अक्टूबर 1975 से ग्रामीण बैंकों की स्थापना का कार्य भी उन्हीं बैंकों को सौंपा गया है।

अग्रणी बैंक योजना को पर्याप्त सफलता मिली है। इस योजना के फलस्वरूप बैंकों की शाखाओं का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ है तथा उन स्थानों पर जहां बैंक नहीं थे वहां बैंकों की शाखायें खोली गयी। इन बैंकों ने क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण कर विकास की सम्भावनाओं को तलाश किया है। इन बैंकों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अपनी 35% पूँजी लगाई है।

3 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश में कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विभिन्न साख संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा कृषि साख को एक छाते के नीचे लाने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गयी जिसने 15 जुलाई 1982 से कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

इस बैंक की अधिकृत पूँजी 500 करोड़ रु० है जो अगले 5 वर्षों में 2000 करोड़ रु० कर दी जायेगी। वर्तमान समय में इसकी पूँजी 330 करोड़ रु० है जिसका आधा भाग केन्द्र सरकार ने तथा आधा भाग रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने दिया है।

नाबार्ड के कार्य — 1 समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों हस्तशिल्पों एवं ग्राम दस्तकारियों और अन्य सम्बन्धित कार्यों की समस्त उत्पादन एवं विनियोग के लिए पुनर्वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है।

2 यह राज्य सरकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं अल्पकालिक, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। —

3. यह राज्य सरकारो को दीर्घकालीन, ~~मध्यकालीन एवं अल्पकालीन~~ ऋण उपलब्ध कराता है। जिसकी अवधि 20 वर्ष होती है।

4. यह केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान कर सकता है।

5. इसे यह दायित्व सौंपा गया है कि प्राथमिक सहकारी बैंको को छोड़कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सहकारी बैंकों का निरीक्षण करें।

6. यह कृषि तथा ग्रामीण विकास में अनुसन्धान को प्रोन्नत करने के लिए अनुसन्धान एव विकास निधि भी रखता है।

यह बैंक अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह निर्वाह कर रहा है। उसने 2001-02 में अल्पकालीन ऋण के रूप में 6583 करोड़ रु० स्वीकृत किये। यह राज्य सरकारो को दीर्घकालीन ऋण देता है ताकि वे सहकारी ऋण संस्थाओं की हिस्सा पूँजी में योगदान कर सकें। 2001-02 में नाबार्ड ने 837 करोड़ रु० के मध्यम एव दीर्घकालीन ऋण वितरित किये।

नाबार्ड के ऋणों में लघु-सिंचाई, फार्म यंत्रीकरण तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया है। भूमि विकास, कमान्ड क्षेत्र विकास बगान एव उद्यान-कृषि मुर्गीपालन, भेड़पालन आदि नाबार्ड द्वारा वित्त उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

डा० वीरेन्द्र प्रताप सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर "अर्थशास्त्र विभाग"
ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़

Scanned with CamScanner